

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठारीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 106 / 2021

उनवान

घोसा पुत्र माग्या जाट निवासी लुलास तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- गोपाल पिता नन्दा जाट निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
- 2- गणेश पिता गोपी जाट निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
- 3- रामकिशन पिता लादू जाट निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
- 4-5 हरदेव लाल पिता छोया जाट निवासी लुलास तहसील शाहपुरा
- 6- पवन कुमार पुत्र जीवण सिंह महाजन निवासी लुलास तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति - श्री त्रिलोक चन्द नौलखा  
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 13/07/2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - प्रार्थी के ग्राम लुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 375 रकबा 0.60 है०, 765 रकबा 0.36 है०, 754 रकबा 0.12 है०, 753 रकबा 0.55 है०, 751 रकबा 0.31 है०, 854 रकबा 0.74 है०, 853 रकबा 1.41 है० कुल कित्ता 7 रकबा 4.09 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम लुलास संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लुलास में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 7 रकबा 4.09 की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.